

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 288*

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष उपचार को स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत शामिल करना

*288. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार हाल में हुई वैशिक घटनाओं, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी उपायों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीएच) के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को वैशिक स्तर पर मुख्यधारा में लाने के लिए भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता तथा देश में पारदर्शी बिलिंग, उचित मूल्य निर्धारण और आयुष उपचारों के सुगम एकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पारंपरिक चिकित्सा को आईसीडी-11 में शामिल किया जाना शामिल है, का लाभ उठा रही है;
- (ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का निजी बीमा कंपनियों को आयुष उपचारों को व्यापक रूप से शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशिष्ट नीतिगत बदलाव करने और नियामक ढाँचा तैयार/विकसित करने का विचार है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 08 अगस्त, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 288* के उत्तर में
उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): हाल के वैशिक विकास के आलोक में, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैशिक स्तर पर मुख्यधारा में लाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दिनांक 11.02.2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूएचओ द्वारा 10 जनवरी, 2024 को दिल्ली में आईसीडी-11 मॉड्यूल 2 का शुभारंभ किया गया। परिणामस्वरूप, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पद्धतियों के रुग्णता कोड अब अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण में शामिल कर लिए गए हैं। आईसीडी-11 में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पद्धतियों के रुग्णता कोड पारंपरिक चिकित्सा में निदानों के व्यवस्थित अभिलेखन और विश्लेषण को सुगम बनाते हैं, जिससे इन पद्धतियों को स्वास्थ्य सेवा और नीति-निर्माण की मुख्यधारा में एकीकृत करने में मदद मिलती है।

इसके अतिरिक्त, भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मध्य दिनांक 24 मई, 2025 को एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर समग्र दृष्टिकोण और ध्यान केंद्रित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य उपचार वर्गीकरण (आई सी एच आई) के लिए पारंपरिक चिकित्सा उपचार श्रेणियाँ और सूचकांक विकसित करना है। यह समझौता आई सी एच आई के अंतर्गत एक समर्पित पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल पर काम की शुरुआत का प्रतीक है। यह विकास पारंपरिक ज्ञान की अपनी समृद्धि विरासत को वैशिक स्वास्थ्य सेवा की मुख्यधारा में लाने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है जो वैज्ञानिक वर्गीकरण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा समर्थित है।

(ग) और (घ): आयुष मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र के लिए विशेषज्ञों का एक कोर समूह गठित किया है, जिसमें भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), सामान्य बीमा परिषद (जीआईसी), सामान्य बीमा सार्वजनिक क्षेत्र संघ (जीआईपीएसए), भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबीआई) के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आयुष

उपचारों के बीमा कवरेज के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन और विभिन्न उपचारों/इन्टरवैशनों की मानक दरों के आधार पर दावों के निपटान के लिए एक समिति भी गठित की गई है।

आयुष उपचार की बढ़ती माँग को देखते हुए, आईआरडीएआई ने अपने पत्र संख्या IRDAI/HLT/CIR/GDL/31/01/2024 दिनांक 31/01/2024 के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा के प्रयोजनार्थ आयुष उपचारों को अन्य उपचारों के समान दर्जा देने की सलाह दी है ताकि पॉलिसीधारकों को अपनी पसंद का उपचार चुनने का विकल्प मिल सके। आईआरडीएआई ने यह भी सलाह दी है कि सभी पॉलिसियों में गुणवत्ता मानकों के साथ-साथ कैशलेस सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष अस्पतालों और डे केयर सेंटरों को नेटवर्क प्रदाताओं के रूप में नामांकित करने की प्रक्रियाएँ भी शामिल होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में आयुष उपचार के कवरेज के संबंध में सामान्य बीमा कंपनियों और आयुष हितधारकों के लिए आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम), बैंगलुरु, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), कोलकाता में अब तक पांच संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

आईआईबीआई के पास रोहिणी (बीमा नेटवर्क में अस्पतालों की रजिस्ट्री) नामक एक मंच है, जहां आयुष अस्पताल पंजीकरण कर सकते हैं और बीमा कवरेज के लिए बीमाकर्ताओं तक पहुंच सकते हैं।
